रेडो - नागरिको द्वारा जिला स्तर के अधिकारीयों को निकालने एवं दण्डित करने का <u>प्रस्तावित</u> क़ानून

(<u>Proposed</u> Notification; REDO - Right to Expel & Punish District level Officers)

----- ड्राफ्ट का प्रारंभ-----

इस कानून ड्राफ्ट का सार: निचे दिए गए क़ानून के गेजेट में प्रकाशित होने के बाद भारतीय नागरिक यह बता सकेंगे कि वे मौजूदा एस. पी., जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी एवं जिला जज की नौकरी चालू रखना चाहते है, या उन्हें निकाल कर किसी अन्य व्यक्ति को नौकरी देना चाहते है। साथ ही पुलिस-शिक्षा-चिकित्सा विभाग एवं जिला न्यायालय से सम्बंधित मामलो की सुनवाई करने तथा दंड देने की शक्ति जजो के पास नही, बल्कि आम नागरिको की ज्यूरी के पास रहेगी।

इस कानूनी ड्राफ्ट को संसद या विधानसभा से अनुमित की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री इसे राजपत्र अधिसूचना के रूप में राज्य सरकार के गेजेट में छाप सकते है। यह ड्राफ्ट प्रधानमंत्री द्वारा भी केंद्र सरकार के गेजेट में छापा जा सकता है। #P20180436105, #VoteWapsiPassbook, #Redo105

टिप्पणी: इस ड्राफ्ट में दो भाग है -

- (I) नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश,
- (II) नागरिकों और अधिकारियों के लिए निर्देश। टिप्पणियाँ इस क़ानून का हिस्सा नहीं है।

नागरिक एवं अधिकारी टिप्पणियों का प्रयोग दिशा निर्देशों के लिए कर सकते है।

भाग (I) नागरिको के लिए निर्देश

(01) इस क़ानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर आपको यानी प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी।

(02) तब यदि आप अपने जिला पुलिस प्रमुख, जिला जज, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के काम काज से संतुष्ट नहीं है तो उसे नौकरी से निकालने के लिए पटवारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

होकर अपनी स्वीकृति हाँ के रूप में दर्ज करवा सकेंगे। आप अपनी स्वीकृति SMS, ATM या मोबाईल एप से भी दर्ज करवा सकेंगे।

(03) आप अपनी स्वीकृति किसी भी दिन रद्द कर सकते है एवं किसी भी अन्य प्रत्याशी को किसी भी दिन स्वीकृत कर सकते है। जब आप किसी प्रत्याशी के लिए हाँ दर्ज करेंगे या अपनी स्वीकृति रद्द करेंगे तो पटवारी इसकी एंट्री आपकी वोट वापसी पासबुक में करेगा।

(04) यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इस कानून के पारित होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी ड्यूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तथ्य-सबूत आदि देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा।

भाग (II) नागरिकों और अधिकारियों के लिए निर्देश

(05) इस क़ानून में अभिभावक शब्द का अर्थ होगा - 0 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चो के पिता या उनकी माता, जो उस जिले का मतदाता भी हो। जब तक अभिभावको की सूची नहीं बनती, प्रत्येक मतदाता जो 23 और 45 वर्ष के बीच है, इस राजपत्र अधिसूचना के लिए अभिभावक माना जायेगा। अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी की नौकरी चालू रखने या निकाल दिए जाने के लिए हाँ दर्ज कर सकेंगे।

(06) पुलिस प्रमुख, चिकित्सा अधिकारी, शिक्षा

अधिकारी, जिला जज एवं जूरी प्रशासक के लिए आवेदन एवं योग्यताएं

(6.1) प्रिस प्रमुख: यदि 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए किसी जिले में पुलिस प्रमुख नहीं रहा हो, तथा जिसने 5 वर्षों से अधिक समय तक सेना में काम किया हो, या पुलिस विभाग में एक भी दिन काम किया हो, या सरकारी कर्मचारी के रूप में 10 वर्षों तक काम किया हो अथवा उसने राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवाओ की लिखित परीक्षा पास की हो, अथवा उसने विधायक या सांसद या पार्षद या जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव जीता हो, तो ऐसा व्यक्ति जिला पुलिस प्रमुख के प्रत्याशी के रूप में

आवेदन कर सकेगा।

•

(6.2) चिकित्सा अधिकारी : 30 वर्ष से अधिक आय् का कोई भी भारतीय नागरिक जिसे ऐलोपेथी, आयुर्वेद, होम्योपेथ, यूनानी या भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गयी इसके समकक्ष किसी अन्य चिकित्सा विज्ञान का मान्यता प्राप्त चिकित्सक होने के लिए आवश्यक जैसे MBBS, BAMS या इसके समकक्ष डिग्री प्राप्त किये हुए 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हो, तो वह जिला चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकेगा।

.

(6.3) जिला जज: भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो एवं उसे वकालत की डिग्री पूर्ण किये हुए 5 वर्ष हो चुके हो तो वह जिला जज पद के लिए आवेदन कर (6.4) शिक्षा अधिकारी एवं जूरी प्रशासक: भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो तो वह जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला न्यायवादी (जूरी प्रशासक) पद के लिए आवेदन कर सकेगा।

(07) धारा 6 में दी गयी योग्यता धारण वाला कोई भी नागरिक यदि जिला कलेक्टर के सामने स्वयं या किसी वकील के माध्यम से ऐफिडेविट प्रस्तुत करता है, तो जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर अर्हित पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा, तथा उसे एक विशिष्ट सीरियल नम्बर जारी करेगा।

(08) मतदाता द्वारा प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए **हाँ** दर्ज करना

.

(8.1) कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या मतदाता पहचान पत्र के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर पुलिस प्रमुख, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, जिला जज, जूरी प्रशासक के प्रत्याशियों के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ को दर्ज करके रसीद देगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को उम्मीदवारो के नाम एवं मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाईट पर भी रखेगा। मतदाता किसी पद के उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है।

(8.2) स्वीकृति (हाँ) दर्ज करने के लिए मतदाता
3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस
1 रुपया होगी

.

(8.3) यदि कोई मतदाता अपनी स्वीकृती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा।

.

(8.4) प्रत्येक महीने की 5 तारीख को, कलेक्टर पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियो का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा।

.

[टिपण्णी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि

मतदाता अपनी स्वीकृति SMS, ATM एवं मोबाईल एप द्वारा दर्ज करवा सके।

टिप्पणी: रंज वोटिंग: प्रधानमंत्री या म्ख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता कोई स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा, किन्त् यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय (Arrow's Useless Impossibility Theorem) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है।]

(09) पुलिस प्रमुख, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं जूरी प्रशासक की नियुक्ति एवं निष्कासन

.

(9.1) पुलिस प्रमुख एवं शिक्षा अधिकारी - यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं (सभी मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने स्वीकृति दर्ज की है) के 50% से अधिक मतदाता पुलिस प्रमुख या शिक्षा अधिकारी के किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते है, या सबसे अधिक स्वीकृति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए नया जिला पुलिस प्रमुख या शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकते है। इस बारे में मुख्यमंत्री का फैसला अंतिम होगा। यदि दिल्ली पुलिस प्रमुख का कोई उम्मीदवार 50% से अधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को

चिट्ठी लिख सकते है, और दिल्ली पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे।

.

(9.2) चिकित्सा अधिकारी एवं जूरी प्रशासक -यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला जूरी प्रशासक के किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है तो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति कर सकते है।

.

(9.3) जिला जज - यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता जिला जज के किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है तो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति की विनती के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को चिट्ठी

लिख सकते है, या अपना इस्तीफा दे सकते है। नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय हाई कोर्ट के प्रधान जज करेंगे।

.

(9.4) अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी - यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी अभिभावकों के 35% से अधिक अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी के किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है तो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति कर सकते है।

.

(10) जिला पुलिस प्रमुख के लिए गुप्त मतदान की अतिरिक्त प्रक्रिया एवं कार्यकाल

.

(10.1) मुख्यमंत्री एवं राज्य के सभी मतदाता राज्य चुनाव आयुक्त से विनती करते है कि, जब भी जिले में कोई आम चुनाव, जिला पंचायत

चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, तहसील पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव या अन्य कोई भी चुनाव करवाया जाएगा तो इन चुनावों के साथ राज्य चुनाव आयुक्त एस.पी. के चुनाव के लिए भी मतदान कक्ष में एक अलग से मतपत्र पेटी रखेगा, ताकि जिले के मतदाता यह तय कर सके कि वे मौजूदा एस.पी. की नौकरी चालू रखना चाहते है या किसी अन्य व्यक्ति को एस.पी. की नौकरी देना चाहते है।

(10.2) यदि कोई उम्मीदवार जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं (सभी, न कि केवल वे जिन्होंने वोट किया है) के 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे सकते है, या 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति

को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते है। यदि दिल्ली पुलिस प्रमुख का कोई उम्मीदवार 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते है, और दिल्ली पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे।

.

(11) यदि कोई व्यक्ति पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए पुलिस प्रमुख रह चुका हो तो मुख्यमंत्री उसे अगले 600 दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख के पद पर रहने की अनुमित नहीं देंगे। किन्तु यदि पुलिस प्रमुख गुप्त मतदान की प्रक्रिया में जिले के 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री उसे पद पर बनाए रख सकते है।

.

(12) विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य के सभी मतदाताओं के 50% से अधिक मतदाताओं की स्पष्ट स्वीकृति लेकर मुख्यमंत्री किसी जिले में पुलिस प्रमुख के लिए नागरिको द्वारा स्वीकृत करने की इस प्रक्रिया एवं उसके स्टाफ पर जूरी ट्रायल को 4 वर्षों के लिए हटाकर अपने विवेकाधिकार से उस जिले में नया जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते है। किन्तु मुख्यमंत्री जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जज एवं जिला चिकित्सा अधिकारी को स्वीकृत करने की प्रक्रियाए तब भी जारी रख सकते है।

(13) मतदाताओ या अभिभावकों की स्वीकृति से नियुक्त हुआ शिक्षा अधिकारी एक से अधिक जिलो का भी शिक्षा अधिकारी बन सकता है। वह किसी राज्य में अधिक से अधिक 5 जिलों का, और भारत भर में अधिक से अधिक 20 जिलों का शिक्षा अधिकारी बन सकता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी जिले का शिक्षा अधिकारी 8 वर्षों से अधिक समय के लिए नहीं रह सकता है। यदि वह एक से अधिक जिलों का शिक्षा अधिकारी है तो उसे उन सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी के पद का वेतन, भत्ता, बोनस आदि मिलेगा।

.

(14) पुलिस, शिक्षा, न्यायालय एवं चिकित्सा विभाग के मामलो का नागरिको की जूरी द्वारा निपटान

.

[टिप्पणी: मुख्यमंत्री जूरी मंडल के गठन एवं संचालन के लिए आवश्यक विस्तृत प्रक्रियाएं गेजेट में प्रकाशित करेंगे, जिन्हें इस क़ानून में जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री के अलावा कोई अन्य मतदाता भी इसी क़ानून की धारा

15.1 का प्रयोग करते हुए ऐसी आवश्यक प्रक्रियाएं जोड़ने का शपथपत्र दे सकता है।]

.

(14.1) यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इस कानून के पारित होने पर आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी ड्यूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तथ्य देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई तय करनी होगी।

.

(14.2) जूरी प्रशासक जिले की मतदाता सूची में से 30 सदस्यीय महाजूरी मंडल की नियुक्ति करेगा। इनमे से हर 10 दिन में 10 सदस्य सेवानिवृत होंगे और नए 10 सदस्यो का चयन मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा कर लिया जाएगा। यह महा जूरी मंडल निरंतर काम करता रहेगा। महा जूरी सदस्य को प्रति उपस्थिति 500 रू एवं यात्रा व्यय मिलेगा।

.

(14.3) यदि पुलिस प्रमुख, शिक्षा अधिकारी, जिला जज, चिकित्सा अधिकारी या उनके स्टाफ से सम्बंधित कोई भी मामला है तो वादी अपने मामले की शिकायत महा जूरी मंडल के सदस्यों को लिख कर दे सकते है। यदि महा जूरी मंडल मामले को निराधार पाते है तो शिकायत खारिज कर सकते है, अथवा इस मामले की सुनवाई के लिए एक नए जूरी मंडल के गठन का आदेश दे सकते है।

.

(14.4) मामले की जटिलता एवं आरोपी की हैसियत के अनुसार महा जूरी मंडल तय करेगा कि 15-1500 के बीच में कितने सदस्यों की जूरी बुलाई जानी चाहिए। तब जूरी प्रशासक मतदाता सूची से लॉटरी द्वारा सदस्यों का चयन करते हुए जूरी मंडल का गठन करेगा और मामला इन्हें सौंप देगा।

.

(14.5) अब यह जूरी मंडल दोनों पक्षों, गवाहों आदि को सुनकर फैसला देगा। प्रत्येक जूरी सदस्य अपना फैसला बंद लिफ़ाफ़े में लिखकर ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर या जज को देंगे। दो तिहाई सदस्यों द्वारा मंजूर किये गये निर्णय को जूरी का फैसला माना जाएगा। किन्तु मृत्यु दंड में 75% सदस्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। जज या ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर सभी के सामने जूरी का निर्णय सुनायेंगे। यदि जज जूरी द्वारा दिए गए फैसले को खारिज करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। प्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए अलग से

जूरी मंडल होगा, और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाएगी। पक्षकार चाहे तो फैसले की अपील उच्च जूरी मंडल में कर सकते है।

.

(15) जनता की आवाज

.

(15.1) यदि कोई मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।

.

(15.2) यदि कोई मतदाता धारा 15.1 के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।

----- ड्राफ्ट का समापन----

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो नागरिको के लिए इस क़ानून को समझने में सहायक है :

इस क़ानून की धारा 01 में कहा गया है कि - इस क़ानून के गेजेट में छपने के बाद हमें एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। मेरा प्रश्न है कि गेजेट क्या होता है ?

(1) गेजेट या राजपत्र क्या होता है ?

Page 23 of 44

गेजेट नोटिफिकेशन या राजपत्र अधिसूचना एक पुस्तिका है जिसका प्रकाशन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियो द्वारा हर महीने या जब भी जरूरत हो तब किया जाता है। गेजेट में मंत्रियो द्वारा अधिकारियों के लिए आदेश जारी किये जाते। कलेक्टर आदि अधिकारी सिर्फ वही कार्य करते है जो गेजेट में लिखा होता है। अधिकारी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि प्रधानमन्त्री ने प्रेस में या पब्लिक रेली के भाषण में क्या कहा था।


•

यदि प्रधानमंत्री प्रेस कोंफ्रेंस में, या रेली में या अपने पार्टी घोषणा पत्र में यह कहता है कि - प्रत्येक परिवार को 20 लीटर कैरोसिन मिलेगा, लेकिन यदि मंत्री ने गेजेट में 10 लीटर लिखा है तो कलेक्टर प्रत्येक परिवार को 10 लीटर

कैरोसिन ही देगा। क्योंकि कलेक्टर को वही करना होता है जो गेजेट में लिखा गया है, न कि वह करना होता है जो मंत्री अपने भाषण में कह रहा है। यदि कलेक्टर आदि अधिकारी गेजेट का पालन नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी जा सकती है, उन पर फाइन हो सकता है, पेंशन रुक सकती है और यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

गेजेट का नमूना निचे दिया गया है:

उदाहरण के लिए जन धन योजना और नोटबंदी



लागू करने के लिए आदेश गेजेट में ही छापा गया था। और गेजेट में छापने के साथ ही यह नीतियाँ तुरंत प्रभाव से देश में लागू हो गयी। गेजेट में कोई इबारत छापने के लिए प्रधानमंत्री को संसद से अनुमति नहीं लेनी होती है। प्रधानमंत्री अपने हस्ताक्षर करके आदेश सीधे गेजेट में छाप सकते है। और गेजेट में आने के साथ ही ये आदेश लागू हो जाते है। यदि 15 धाराओं का यह ड्राफ्ट गेजेट में छाप दिया जाता है तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक वोट वापसी पासबुक मिल जायेगी।

.

(2) इस क़ानून की धारा 02 में लिखा हुआ है कि, "आप अपनी स्वीकृति SMS, ATM या मोबाईल एप से भी दर्ज करवा सकेंगे।" लेकिन ज्यादातर लोगो को तो ये सब चलाना नहीं आता।

.

यदि आप SMS से स्वीकृति देना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में अपना मोबाईल नंबर रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। लेकिन पटवारी कार्यालय में जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी हाँ दर्ज कर सकता है। आप जिस भी तरीके से अपनी स्वीकृति दें, इसकी एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी। और आप किसी भी दिन पटवारी कार्यालय जाकर अपनी पासबुक अपडेट करवा सकते है। जैसे जब आप ATM से रुपया निकालते है तो इसकी एंट्री त्रंत आपकी बैंक पासबुक में नहीं आती, लेकिन जब आप बैंक में जाते है तो इसकी एंट्री करवा लेते है। फिर हर महीने कलेक्टर जिले भर की एवं हर हफ्ते पटवारी अपने इलाके की कुल स्वीकृतियों की संख्या सार्वजनिक कर देगा। इस तरह यह सिस्टम वोट वापसी पासबुक, पटवारी कार्यालय और कलेक्टर ऑफिस पर टिका हुआ है, मोबाईल, इंटरनेट या वेबसाईट पर नहीं। (कृपया धारा 8.4 देखें)

(3) भारत को इस क़ानून की जरूरत क्यों है ?

लगभग 240 साल पहले जब अमेरिका इंग्लेंड से आजाद हुआ, और वहां वोट देने का क़ानून आया तो नागरिको ने कहा कि अगर चुनाव जीतने के बाद नेता हमारी बात सुनना बंद कर देंगे तो हम उसे 5 साल से पहले कैसे हटायेंगे। इस समस्या के इलाज के लिए अमेरिका में वोट वापिस लेने का क़ानून भी लाया गया। वोट वापिस लेने का क़ानून होने से अमेरिका के नागरिक जब देखते है कि कोई नेता या अधिकारी एकदम निकम्मा हो गया है, तो वे उसे हटाने के लिए 5 साल तक इन्तजार नहीं करते, बल्कि अपना वोट वापिस लेकर उसे पहले ही बदल देते है। निकाले जाने के डर की वजह से अमेरिका के नेता एवं अधिकारी अपने काम में लगातार सुधार करते रहते है। जो अपना काम नहीं सुधारता उसे वहां के नागरिक नौकरी

से निकाल देते है। ठीक उसी तरह जिस तरह प्राइवेट कम्पनी में यदि कर्मचारी ठीक से काम नहीं करता तो मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है।

छांटने की इस प्रक्रिया के कारण वहां भ्रष्ट आदमी पद पर नहीं रह पाता। इसके अलावा जब किसी नेता या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो मुकदमे की सुनवाई जज की जगह नागरिको की जूरी करती है। जूरी सिस्टम के कारण भ्रष्ट नेताओं-अधिकारियो को त्रंत दंड मिलता है और वे सलीके से काम करते है।

जब भारत आजाद हुआ और वोट देने का कानून आया तो भारतीय नागरिको ने भी यह मांग की थी कि वोट वापिस लेने का क़ानून भी बनाओ,

ताकि निकम्मे एवं भ्रष्ट नेता-मंत्री-अधिकारी को हम छांट कर नौकरी से निकाल सके। पर उस समय के नेता भारत के आम नागरिको को वोट वापिस लेने का अधिकार नहीं देना चाहते थे, अत: उन्होंने इस क़ानून को गेजेट में छापने से मना कर दिया। उन्होंने कहा -- "अभी भारतीयों के लिए वोट देने का क़ानून ही काफी है, और वोट वापिस लेने का क़ानून हम बाद में बना देंगे "!! और फिर बाद में, बाद में कहकर यह क़ानून पिछले 70 सालों से टलता आ रहा है। तो भारतीयों के पास भ्रष्ट एवं निकम्मे नेताओं-अधिकारियो को नौकरी से निकालने का कोई तरीका नहीं होने के कारण चुनाव जीतने के साथ ही नेताओं को 5 साल की और सरकारी अधिकारी को 30 साल की पट्टेदारी मिल जाती है। इस क़ानून को लाये बिना नेताओं एवं अधिकारियों के काम काज में सुधार नहीं

लाया जा सकता।

.

(4) वोट वापसी पासबुक मिलने के बाद हम किन किन अधिकारियो एवं नेताओं का वोट वापिस ले सकते है ?

.

इस क़ानून के गेजेट में आने के बाद आम भारतीय को अपने जिला एसपी, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं जिला जज को नौकरी से निकालने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन एक बार हम भारतीयों को यदि वोट वापसी पास बुक मिल जाती है तो बाद में इसमें विधायक, सांसद, सरपंच, प्रधानमन्त्री, मुख्यमंत्री आदि के पेज भी जोड़े जा सकते है।

.

(5) इससे तो लोग छोटी छोटी बात पर रोज

अपने नेता या अधिकारी को निकालने लगेंगे तो क्या होगा ?

.

जिस तरह सिर्फ आपके वोट से नेता नहीं चुना जाता उसी तरह सिर्फ आपके वोट वापिस लेने से अधिकारी या नेता को नहीं निकाला जा सकेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि किसी जिले में 20 लाख मतदाता है तो एसपी सिर्फ तभी निकाला जाएगा जब कम से कम 11 लाख लोग यह बताए कि मौजूदा एसपी को निकालकर वे किसे एसपी बनाना चाहते है। यदि 51% नागरिक यह नहीं बताते कि मौजूदा एसपी को हटाकर किस आदमी को एसपी बनाना है तो, मौजूदा एसपी की नौकरी चालू रहेगी। इस तरह नागरिक दोनों चीजे बताएँगे। यह भी बताएँगे कि किस अधिकारी को निकालना है, और यह भी बतायेंगे

कि किस अधिकारी को यह नौकरी देनी है। अत: सिर्फ वोट वापिस लेने से अधिकारी या नेता नहीं बदला जाएगा। अधिकारी या नेता सिर्फ तब बदला जाएगा जब जिले के 51% मतदाता सहमती दें। मतलब अधिकारी या नेता को निकालने के लिए बहुमत की जरूरत होगी।

(6) प्रधानमंत्री इस क़ानून को गेजेट में क्यों नहीं छाप रहे है ?

.

देखिये, प्रधानमन्त्री को पूरा देश चलाना होता है और उनके पास सैंकड़ो संगठनो से सैकड़ो मांगे रोज आती है। जब किसी मांग के समर्थन में ज्यादा लोग आ जाते है तो वे उस मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाते है। तो जब भारत के ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस क़ानून की मांग करेंगे तो वे इसे गेजेट में छापेंगे, वर्ना नहीं छापेंगे।

.

(7) अमेरिका में किन किन नेताओं एवं अधिकारियों पर वोट वापसी का क़ानून है ?

.

अमेरिका में नागरिक सांसद, विधायक, मेयर, जिला जज, हाई कोर्ट जज, मुख्यमंत्री, जिला पुलिस प्रमुख, जिला शिक्षा अधिकारी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आदि को नौकरी से निकालने के लिए वोट वापसी क़ानून का प्रयोग करके सीधे इन्हें नौकरी से निकाल कर किसी अन्य व्यक्ति को नौकरी पर रख सकता है।

.

(8) एस पी एवं शिक्षा अधिकारी को तो हम चुनते नहीं है। फिर उनकी वोट वापसी क्यों होनी चाहिए ? जब शहर में अपराध बढ़ जाते है, सरकारी स्कूल-अस्पताल बदतर हो जाते है तो आप सरकार के पास जाते है, धरना-प्रदर्शन करते है और सरकार को जिम्मेदार ठहराते है। और यदि मुख्यमंत्री की मर्जी हो तो वे अधिकारी का ट्रांसफर कर देते है, या गंभीर गलती होने पर उन्हें सस्पेंड करते है। इस तरह मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों के काम काज पर जनता को जवाब देता है। अभी यदि किसी शहर में पुलिस एकदम बेकार काम कर रही है और जिले के मतदाता यदि एसपी को हटाना चाहते है तो उन्हें पूरी सरकार को ही हटाना पड़ता है। पर इस क़ानून के आने के बाद सभी जिलो के नागरिक अलग अलग यह बता सकेंगे कि वे अपने जिले के एसपी की नौकरी चालू रखना चाहते है, या नहीं। और तब मुख्यमंत्री बहुमत का

सम्मान करते हुए किसी एसपी को निकाल सकते है। यही स्थिति शिक्षा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी के साथ रहेगी। अत: नेताओं के साथ साथ अधिकारियों पर भी वोट वापसी जरुरी है, ताकि निकम्मे एवं भ्रष्ट अधिकारियों को निकालने के लिए पूरी सरकार को हिलाने की जरूरत न पड़े। (कृपया धारा 09 देखें)

(9) एस.पी. अगर स्वीकृतियां लेने के लिए नागरिको को धमकाएगा तो क्या होगा ?

पहली बात, एस.पी. बनने के लिए लाखों स्वीकृतियों की जरूरत होगी। किसी भी व्यक्ति या एस.पी. के पास इतना बल नहीं होता कि वे लाखों आदमियों को रोज धमका कर रख सके। दूसरी बात, यदि पुलिस प्रमुख नागरिको को

धमकाता है, या उसके स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो इसकी सुनवाई जज नहीं, बल्कि नागरिको की जूरी करेगी (कृपया धारा 14 देखें)। जूरी सिस्टम के कारण तत्काल सुनवाई होगी और 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा। मतलब नागरिको को शिकायत लेकर कोर्ट या नेताओं के यहाँ महीनो तक धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तीसरी बात, इस ड्राफ्ट में गुप्त मतदान भी है (कृपया धारा 10 देखें)। तो जिन लोगो को एस.पी. का भय है उन्हें अगले किसी आम चुनाव या पंचायत चुनाव का इंतजार करना होगा। जब भी कोई चुनाव होंगे तो वे मौजूदा एस.पी. को हटाकर नए एस.पी. के लिए गुप्त मतदान कर सकते है।

(10) लोग अपनी जाति के आदमी को एस.पी.

बना देंगे तो क्या होगा ?

.

भारत के किसी भी जिले में किसी भी जाति के मतदाताओं का प्रतिशत 15 से ज्यादा नहीं है, जबिक एस.पी. बनने के लिए कम से कम 51% मतदाताओं के अनुमोदन की जरूरत होगी। इसके अलावा हमने जो प्रक्रिया दी है उसमे मतदाता अपनी पसंद के किन्ही 5 उम्मीदवारों को स्वीकृत कर सकेगा। तो मान लीजिये कि X एक स्वीकृति अपनी जाति वाले उम्मीदवार को दे देता है, परन्तु अपनी दूसरी, तीसरी स्वीकृति किसी अच्छे एवं जाति निरपेक्ष उम्मीदवार को देगा। इस तरह जो उम्मीदवार अच्छे होंगे उन्हें सभी जातियों की स्वीकृति मिलेगी और उनकी स्वीकृतियों की संख्या बढ़ने से अच्छे जाति निरपेक्ष लोग बढ़त

बना लेंगे। (कृपया धारा 8.1 का अंतिम वाक्य देखें)

•

(11) यह क़ानून गेजेट में आने से पुलिस विभाग में किस तरह के परिवर्तन आयेंगे ?

•

यह क़ानून आने के 6 महीने के भीतर ही पुलिस के भ्रष्टाचार में 70% तक की गिरावट आ जायेगी। भ्रष्ट और निकम्मे पुलिस प्रमुख निकाल दिए जायेंगे या फिर सुधर जायेंगे। वैसे व्यवहारिक अनुभव यही है कि नागरिको को 1-2 अधिकारीयों को ही निकालने की जरूरत पड़ती है, और शेष अधिकारी नौकरी खोने के डर से तुरंत सुधरना शुरू कर देते है।

.

- 9.1. एस.पी. नेताओं और मंत्रियों के गलत आदेश मानना बंद कर देगा। यदि वह ऐसा करेगा तो नागरिक बहुमत का प्रयोग करके उसे नौकरी से निकाल देंगे।
- 9.2. इस समय एस.पी. सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री, जज, डी.आई.जी., सांसद और विधायको को खुश रखने के हिसाब से ही काम करता है। जब ये लोग एस.पी. को ट्रांसफर और सस्पेंड करने की शक्ति खो देंगे तो एस.पी. इनके चंगुल से आजाद होकर

जनहित में काम कर सकेगा।

9.3. जब नेता, आला अधिकारी एवं धनिक एस.पी. पर अपनी पकड़ खो देंगे तो एस.पी. उनके खिलाफ निर्भीक होकर जांच कर सकेगा। आज एस.पी. इनके खिलाफ अपनी इच्छा से जांच नहीं खोल सकता। यदि एसपी इनके गलत फैसलों के खिलाफ जाता है तो ये लोग एस.पी. का

ट्रांसफर करवा देते है। जनता के प्रति जवाबदेह होने के कारण एस.पी. के साथ साथ पूरे पुलिस विभाग के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वे जनता के साथ अच्छे से पेश आयेंगे।

.

क्या आम नागरिक किसी पुलिस थाने में उसी तरह से मुक्त रूप से जा सकते है जिस तरह से किसी अन्य सरकारी कार्यालय जैसे बैंक आदि में जाते है ? दरअसल भारत के तमाम नागरिको के मन में पुलिस के प्रति एक अदृश्य भय है। आम तौर पर किसी भी समाज में सिर्फ 0.5% के लगभग अपराधी होते है, किन्तु पुलिस सामान्यतया ज्यादातर आम नागरिको के साथ रुखाई से ही पेश आती है। यह क़ानून आने से यह स्थिति पूरी तरह से पलट जायेगी।

.

(10) इस क़ानून के आने से सरकारी अस्पतालों एवं स्कूलों में क्या सुधार आएगा ?

यदि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दी जायेगी, वांछित मात्रा में सोनोग्राफी, एक्स रे, एम आर आई आदि जांचो की मशीने पर्याप्त होगी तो निजी अस्पतालों को होने वाले वाले मुनाफे में कमी आ जायेगी। इसी वजह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा मंत्री निजी अस्पतालों के मालिको से घूस खाकर सरकारी अस्पतालों को बदतर बनाए रखता है। डॉक्टर्स एवं सुविधाओ की कमी होने कारण सरकारी अस्पतालों में लम्बी लाइने लगी रहती है, और मरीजो को निजी अस्पतालों की और रुख करना पड़ता है। निजी अस्पतालों के जाल में फंस कर बड़े पैमाने पर नागरिक पैसा और स्वास्थ्य गँवा रहे है। निजी अस्पताल नागरिको को अपने ग्राहकों की तरह देखते है, मरीजो की तरह नहीं।

आज यदि कोई चिकित्सा अधिकारी सरकारी अस्पतालों को सुधारना भी चाहता है तो भ्रष्ट चिकित्सा मंत्री उसे ऐसा नहीं करने देता। यह क़ानून आने के बाद भ्रष्ट चिकित्सा मंत्री का जिला चिकित्सा अधिकारी पर कोई नियन्त्रण नहीं रह जाएगा। तब मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरकारी अस्पतालों को ठीक करेगा, वर्ना नौकरी गँवाएगा। नौकरी जाने के भय से चिकित्सा अधिकारी तुरंत चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करना शुरु कर देगा। ठीक इसी तरीके के बदलाव सरकारी स्कूलों में भी आयेंगे।
